"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 301-अ] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 29 नवम्बर 2005—अग्रहायण 8, शक 1927

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 मई 2005

सूचना

क्रमांक /987/न.ग्रा.नि./05.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 (1) के अनुसरण में कवर्धा निवेश क्षेत्र में शामिल ग्रामों के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन सूचना क्रमांक 155/न.ग्रा.नि./05 दिनांक 5-2-2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था.

अत: एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि संचालक नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट कवर्धा निवेश क्षेत्र के भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर तद्नुसार सम्यक् रूप से दिनांक 9-6-2005 को अंगीकृत किये जाते हैं की धारा 15 की उपधारा (4) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर सम्यक् रूप में तैयार एवं अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

कवर्धा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में - ग्राम-सगोना, ग्राम-तालपुर, ग्राम-जोराताल एवं ग्राम-नेवारी की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में - ग्राम-नेवारी, ग्राम-खुंटू, ग्राम-कवर्धा, ग्राम-छिरहा एवं ग्राम-झलका की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में - ग्राम-जेवड़नकलां, ग्राम-भागूटोला, ग्राम-झलका, ग्राम-छिरहा एवं ग्राम-झलका की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में - ग्राम-जेवड़नकलां, ग्राम-कवर्धा, ग्राम-सगोना, ग्राम-समनापुर एवं ग्राम-तालपुर की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन छोड़कर खुला रहेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय नगर पालिका परिषद् कवर्धा.

Raipur, the 31st May 2005

NOTICE

No./987/T.C.P./05.—The Existing Land Use map and register for the Kawardha Planning area was published under sub section (1) of section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) vide 155/Tcp/05 dated 5-2-2005.

Therefore, a notice is hereby given for the general information of the public that the Existing Land Use map & register of Kawardha so prepared and published are duly adopted by the director, Town & Country Planning under the provision of sub section (3) of section 15 of the said Adhiniyam and a copy of the notice is also sent for its publication in Chhattisgarh Gazette, under the provision of sub section (4) of section 15 of the said Adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above maps & register have been duly prepared and adopted on 9-6-2006.

SCHEDULE

KAWARDHA PLANNING AREA LIMITS

North	-	Village-Sagona, Village-Joratal & upto Northern limit of Village-Newari.
East	-	Village-Newari, Village-Khuntu, Village-Kawardha, Village-Ghotiya & upto Eastern limits of Village-Jhalka.
South	-	Village-Jeodand Kalan, Village-Bhagutola, Village-Jhalka & upto Southern limit of Village-Chhiraha.
West	-	Village-Jeodand Kalan, Village-Kawardha, Village-Sagona, Village-Samnapur & upto Western limit of Village-Talpur.

The said adopted maps & registers shall be available for inspections of general public at following place during office hours for a period of 15 days from the publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

Place of Inspection : Office of Municipal Council, Kawardha.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.